न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 111/2025
लाडो देवी आदि — बनाम — घासी आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र बाबत 152 सीपीसी निर्णय संशोधन

ऐडवोकेट प्रार्थी – श्री अमर सिह शेखावत
ऐडवोकेट अप्रार्थी– एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 13.08.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2011 को वादी का वाद निर्णय/डिक्री किया गया था। उक्त निग्रय में '' तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे'' अंकन किया गया, इसी अनुसार डिक्री में भी तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किाय गया था कि भूमि रहन मुक्त होने पर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

उपरोक्त वर्णित वाद के निर्णय/डिक्री से व्यथीत होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपील संख्या 10/2011 अनुवानी ''घासी बनाम लाडो'' न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनू में अपील विचाराधीन होने के कारण से डिक्री की इजराय की पालना की कार्यवाही नही की जा सकी। दिनांक 08.04.2021 को प्रतिवादीगण की अपील संख्या 10/2011 अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होने के बाद नकल आदेशिका प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी द्वारा तहसीलदार नवलगढ के यहां दिनांक 27.12.2021 को निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 की पालना करने में असमर्थता जताई और कहा कि मुकदमा संख्या 65/2005 में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादीग्रस्त आराजी को आज तक रहन मुक्त नही करवाई है तथा लगातार न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी हेते हुए भी बैंक से ऋण प्राप्त करते जा रहे है तथा निर्णय में '' तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे'' नोट लगा होने के कारण से पालना नही कर सकता।

मुकदमा संख्या 65/2005 के निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 में उक्त नोट का प्रतिवादीगण 01 लगायत 12 गलत फायदा उठाकर प्रकरण संख्या 13 व 14 बैंक से साज कर निर्णय/डिक्री के पश्चात वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से पर लगातार ऋण प्राप्त कर रहे है, जबकि उक्त आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 से साज कर ऋण लेते समय समय भौतिक सत्यापन किये बगैर हल्का पटवारी से साजिश कर निर्णय को निष्फल किया जा रहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 ने ऋण प्राप्त किया है तो उन्ही का दायित्व है कि वो ऋण का चुकता [illegible] ऋण चुकता करने में असफल होते है तो उनके गारन्टर से वसूल करे, परन्तु [illegible] आड़ में खातेदारी प्रदान करने से जानबूझकर व्यवधान पैदा कर वंचित किया जा रहा है। इसलिए निर्णय/डिक्री दिनांक [illegible]2011 में अंकित नोट ''तहसीलदार नवलगढ को [illegible] कि उक्त भूमि बैंक [illegible] है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:22:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे "को विलोपित किया जाकर निर्णय/डिक्री की पालना करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक चूंकि डिक्री में एरर होने के कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेंदारी के अधिकारों से महरूम होना पड़ रहा है साथ ही साथ कृषक के रूप में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि निर्णय/डिक्री दिनांक 25.05.2011 में अंकित नोट " तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है। अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे " को विलोपित किये जाने का आदेश फरमावे।

बहस वकील आवेदनकर्ता की सुनी गई। दौराने बहस वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदन कर्ता ने निर्णय में संशोधन अर्थात किये गये निर्णय में अंकित पंक्ति "तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि बैंक के रहन है अतः रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे" को विलोपित करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 152 सी.पी.सी. के द्वारा न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को न्यायालय संशोधन करने में सक्षम है कि वह उसके द्वारा रही गलतीयों को पक्षकारों में किसी के द्वारा ध्यान में लाने पर शुद्व किया जा सकता है। उक्त प्रावधान के अनुसार डिक्री में accidental slip or omission को भी न्यायालय के द्वारा स्वयमेव अथवा किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर दुरूस्त किया जा सकता है। फलस्वरूप प्रा0 पत्र 152 सीपीसी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2011 में संशोधन किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादीगण द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि का बैंक ऋण अदा करने पर घोषित खातेदारी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। फलस्वरूप आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:22:47 IST
Reason: SelfAttested